~~श्री~~ शांतीलाल वगैरा बनाम हीरालाल वगैरा

दावा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1/7/2016 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रा० मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	[handwritten initials/signature]

Left (partially visible) page fragments:

...ोटया
...नहीं है।
...हेतु
[signature]
...ला कलेक्टर
...सिटी (स०मा०)

नम्बर व... अहकाम... हुक्म की... में जा...
5/10-16 1/7/16

पत्रावली

...समय

न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
85/2015	10.1.2014	12.11.2016

1. शांतीलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. भजनलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. प्रहलाद पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. मदनमोहन पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. किशन पुत्र चन्दर जाति बैरवा निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री आलोक गोयल,एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवाकेट, प्रतिवादी नं0 3 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0नं0 334 रकबा 2.04 हैक्टर व 366 रकबा 54 एयर ग्राम हिंगोट्या के वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 सहखातेदार हैं। इस भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है इसलिए पक्षकारों के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। प्रतिवादी नं0 1 ने जानबूझकर ख0नं0 366 का तो विभाजन का दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया परन्तु ख0नं0 334 के बारे में कुछ नहीं कहा जबकि पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद ख0नं0 334 को लेकर ही है। प्रतिवादी नं0 1 इस भूमि को बिना विभाजन के ही बेचने पर आमादा है एवं भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा ख0नं0 366 रकबा 54 एयर बाबत मुकदमा विभाजन का जो पेश किया है उसके जबाब में वादीगण ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य मिर्जापुर स्थित मकान व कृषि भूमि का बंटवारा हुआ है। वादीगण के हिस्से में भूमि ख0नं0 366 रकबा 54 एयर ग्राम हिंगोट्या आई है तथा प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में मिर्जापुर मुख्य सडक पर स्थित मकान व उसकी रिहायशी भूमि आई है। ख0नं0 366 के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण का कब्जा काश्त है । इसका

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बंटवारा हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। हिंगोट्या में राजस्व लोक अदालत कैम्प में राजीनामा हेतु पत्रावली पेश होने पर प्रतिवादी नं0 1 ने इस 35 साल पुराने राजीनामे को मानने से इन्कार कर दिया। वादीगण ने जब ख0नं0 366 व 334 के विभाजन हेतु कहा तो उसने इन्कार कर दिया । इसके बाद दिनांक 4.7.2015 को धमकी दी कि वह ख0नं0 334 रकबा 2.04 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या का विभाजन कराए बिना ही भूमाफियाओं से मिलकर भूमि में भूखण्ड काट देगा । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 334 रकबा 2.04 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/2– 1/2 अनुसार मीट्स एवं बाउण्ड्स से विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खाते अंकित किए जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें । भूमि को बिना विभाजन रहन वय नहीं करें तथा भूमि पर भूखण्ड काटकर भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया कि ख0नं0 334 रकबा 2.04 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई वास्ता नहीं है क्योंकि प्रतिवादी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि विश्राम बैरवा पुत्र चन्दर बैरवा निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास को दि0 30.12.2011 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया है एवं अब प्रतिवादी नं0 1 के स्थान पर विश्राम बैरवा का कब्जा चला आ रहा है। पक्षकारों के मध्य ख0नं0 334 का काफी सालों पहले ही विभाजन हो गया था। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में चारो तरफ कच्ची बाउण्ड्रीबाल कर रखी है व कुछ हिस्से में पट्टियां गाड रखी है व तारों की फैन्सिंग कर रखी है । प्रतिवादी नं0 1 ने अपने हिस्से की भूमि विश्राम बैरवा को बेच दी है। ख0नं0 366 के सम्बन्ध में प्रतिवादी ने पूर्व में ही विभाजन का दावा पेश कर रखा है। ख0नं0 366 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन करने में प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। ख0नं0 334 के सम्बन्ध में प्रतिवादी को गलत पक्षकार बनाया गया है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल आदेशिका, नकल वादपत्र, नकल जबाब वादपत्र उनवानी मुकदमा हीरालाल बनाम शांतीलाल न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल , नकल खसरा गिरदावरी सं0 2024 से 2027, नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 पेश किए हैं।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादी नं0 1 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी जाकर वादी का वाद दिनांक 12.3.2016 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 1.6.2016 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

पत्रावली में दिनांक 12.11.2016 को बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्धान वकील तहसील गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन करने पर सहमत हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नकल जमाबंदी एवं प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। भूमि ख0नं0 334 रकबा 2.04 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या धनबाई बेवा रामप्रसाद, हीरालाल पुत्र रामप्रसाद हि. 1/2 शान्तीलाल भजनलाल प्रहलाद मदनमोहन पि0 मांगीलाल हि0 1/2 जाति रेगर सा0 मिर्जापुर के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादीगण शांतीलाल वगैरा ने भूमि के बंटवारे हेतु यह दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष 1/2 हिस्से में धनबाई व हीरालाल खातेदार दर्ज हैं। पत्रावली में हीरालाल खातेदार ने 1/2 हिस्से की भूमि विश्राम पुत्र चन्दर बैरवा को बेचान की है जो पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2011 से स्पष्ट है परन्तु पत्रावली पर जो जमाबंदी उपलब्ध है उसके अनुसार विक्रेता हीरालाल का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा ही बनता है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2011 के अनुसार हीरालाल ने 1/2 हिस्से का बेचान किया है। इस विक्रय पत्र का अभी राजस्व अभिलेख में अमल भी नहीं हुआ है । विक्रय पत्र का राजस्व अभिलेख में अमल क्यों नहीं हुआ है इसका कोई कारण किसी भी पक्ष ने नहीं बताया है।

हालांकि इस न्यायालय द्वारा विश्राम बैरवा को मुकदमे में पक्षकार बनाया जा चुका है एवं पक्षकारों द्वारा दिनांक 12.3.2016 को प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार इस न्यायालय द्वारा दावा दिनांक 12.3.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर 1/2 हिस्से की विभाजन स्कीम वादीगण शांतीलाल वगैरा के नाम व 1/2 हिस्से की विभाजन स्कीम विश्राम बैरवा के नाम मंगवाई गई है परन्तु विभाजन स्कीम प्राप्त होने के पश्चात् अन्तिम रूप से निर्णय पारित करते समय नकल जमाबंदी व फोटोकोपी विक्रय पत्र के पुनः अवलोकन से यह बात सामने आई है कि प्रतिवादी हीरालाल ने जमाबंदी में दर्ज हिस्से से

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अधिक भूमि का विक्रय विश्राम बैरवा के पक्ष में किया है इसलिए विश्राम बैरवा के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र अभिलेख सम्मत नहीं होने के कारण 1/2 हिस्से की भूमि विश्राम बैरवा के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। अभी तक भी विश्राम बैरवा के पक्ष में हुए विक्रय का अभिलेख में अंकन नहीं हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अन्तिम निर्णय पारित करने के समय तक यदि अभिलेख से सम्बन्धित कोई त्रुटि न्यायालय के समक्ष आती है तो न्यायालय अपने पूर्व आदेश के विपरीत अन्तिम निर्णय में सुधार कर सकता है। अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हम वादग्रस्त भूमि में विश्राम बैरवा को उसके पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2011 के अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी दिया जाना उचित नहीं समझते हैं एवं वादग्रस्त भूमि के जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के नाम ही भूमि का विभाजन करना उचित समझते हैं। चूंकि विश्राम बैरवा ने प्रतिवादी हीरालाल से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि खरीद की है इसलिए विश्राम बैरवा को यह अधिकार रहेगा कि वह उसके पक्ष में हुए विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही विधिसम्मत तरीके से करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि 334 रकबा 2.04 ग्राम हिंगोट्या का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः–

1. वादीगण शान्तीलाल, भजनलाल, प्रहलाद, मदनमोहन पुत्रगण मांगीलाल जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 334 रकबा 1.02 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।
2. ख0नं0 334/1 रकबा 1.02 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या धनबाई बेवा रामप्रसाद, हीरालाल पुत्र रामप्रसाद जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. शांतीलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. भजनलाल पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. प्रहलाद पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. मदनमोहन पुत्र मांगीलाल, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. किशन पुत्र चन्दर जाति बैरवा निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 85/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री आलोक गोयल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि 334 रकबा 2.04 ग्राम हिंगोट्या का वादीगण व प्रतिवादी नं01 के मध्य निम्नप्रकार विभाजन किया जाता हैः—

1. वादीगण शान्तीलाल, भजनलाल, प्रहलाद, मदनमोहन पुत्रगण मांगीलाल जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 334 रकबा 1.02 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।
2. ख0नं0 334/1 रकबा 1.02 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या धनबाई बेवा रामप्रसाद, हीरालाल पुत्र रामप्रसाद जाति रैगर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी में रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.11.2016 को जारी किया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी